संख्या-587/2020/909/22-2-2020-17(146)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 दिसम्बर, 2020***

विषय:-आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2019) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नन्हेलाल पुत्र श्री भजनलाल, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24557/प्रोवेशन-6/147/26जनवरी,2020, दिनांक 05.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नन्हेलाल पुत्र श्री भजनलाल, नगलिया माकनपुर एटा, हाल पता-सरस्वती बिहार, खोड़ा कालौनी, थाना-सेक्टर 58, नोयडा जनपद-गाजियाबाद हाल जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। दिनांक 03.03.1998 को बंदी द्वारा लगभग 04 वर्ष आयु की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1269/1998 में भा0द0वि0 की धारा-363, 366, 376 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-13, गायाजिबाद के आदेश दिनांक 21.04.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2019 तक 20 वर्ष 10 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 01 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, शासनादेश दिनांक 01.08.2018 की प्रतिबन्धित श्रेणी के प्रस्तर-3 (**Xii**) से आच्छादित होने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी नन्हेलाल पुत्र श्री भजनलाल को रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी नन्हेलाल (बन्दी संख्या-5884) पुत्र श्री भजनलाल, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-587/2020/909(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in